न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 40/13/अपील

1. उदाराम
2. राजेन्द्र
3. राजेश
4. भागीरथ

समस्त पुत्रगण गोरूराम जाति बलाई निवासीगण दासा की ढाणी तहसील व जिला सीकर

5. चुन्नीलाल
6. शिवचन्द
7. कर्मचन्द
8. मुकेश
9. कमला

समस्त पुत्रगण रामादेवी जाति बलाई निवासीगण भौडजी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुंनू

–अपीलांट्स

ब ना म

1. ग्राम पंचायत, अलोदा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत, अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
2. जयनारायण दतक पुत्र हरदेवा जाति बलाई निवासी दासा की ढाणी तहसील व जिला सीकर
3. गिरधारी पुत्र गोरूराम जाति बलाई निवासी दासा की ढाणी तहसील व जिला सीकर

–रेस्पोंडेंट्स

अपील विरूद्ध ना.करण सं. 1372 दिनाक 05.08.2013
बतस्दीक ग्राम पंचायत, अलोदा

उपस्थिति–

1. श्री सुरेन्द्रपाल धायल वकील अपील्स की ओर से
2. श्री मूलचन्द धायल वकील रेस्पो. सं. 2 की ओर से
3. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील रेस्पो. सं. 3 की ओर से

निर्णय दिनांक– 01.07.2014

1. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलांट्स के पिता स्व. गोरूराम की कब्जे शुदा खातेदारी भूमि ख.नं. 22 रकबा 0.99 है0, 41 रकबा 1.12 है0 किता 2 कुल रकबा 2.11 है0 वाके ग्राम अलोदा में अवस्थित है। जिसका

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

अपीलांट का पिता अकेला खातेदार था। अपीलांट के पिता का देहान्त दिनांक 07.03.2010 को हो चुका है जबकि अपीलांट मूल रूप से गोकुलपुरा तहसील सीकर में आवास निवास करते है। केवल अपील भूमि पर काश्त करने के लिये ही आते है। इसलिए अपीलांट अपने पिता के विरासत का ना.करण खुलवाने के लिये कागज सम्बन्धित पटवारी को देकर चले गये, पटवारी ने कहा कि मैं ना.करण भरकर ग्राम पंचायत से तस्दीक करवा लूंगा तो अपीलांट ने विश्वास कर लिया। अपीलांट्स का सजरा खानदान इस प्रकार है:–

गोरूराम पुत्र खेमराज (फौत)

↓

मालीदेवी	जयनारायण	उदाराम	गिरधारी	भागीरथ	राजेन्द्र	राजेश	रामादेवी
पत्नी(फौत)	पुत्र	पुत्र	पुत्र	पुत्र	पुत्र	पुत्र	पुत्री(फौत)

↓

कमला	चुन्नीलाल	शिवचन्द	कर्मचन्द	मुकेश
पुत्री	पुत्र	पुत्र	पुत्र	पुत्र

रेस्पो. सं. 2 अपने बालयाकाल में ही अपने ताऊ के गोद चला गया था जो कि वर्तमान में उसी के हक हिस्से पर काबिज काश्तकार है तथा अपीलांट की माता का पूर्व में दिनांक 26.09.2001 में देहान्त हो चुका है जिसका उल्लेख अपील के पैरा सं. 3 में दर्ज सजरा खानदान में अंकित किया गया है। अपीलांट सं. 5 लगायत 9 की माता श्रीमती रामादेवी का देहान्त दिनांक 8.10.1987 को हो चुका है। अपीलांट सं. 5 ता 9 की माता रामादेवी वाद संपदा की स्वामी श्री गोरूराम की वैध वारिस थी जो अपीलांट सं. 5 ता 9 के नाना के देहान्त से पूर्व देहान्त हो चुका था इसलिए अपीलांट स. 5 ता 9 का हक अधिकार उनकी माता रामादेवी के हक अधिकार के अनुसार अधिकार होने के कारण अपील पेश की जा रही है। गिरधारी पुत्र गोरूराम भूमिधारी श्री गोरूराम का वैध वारिस है जो मजदूरी के सिलसिले में बाहर होने के कारण अपील हाजा उपस्थित होकर पेश करने में असमर्थ होने के कारण अपील का आवश्यक पक्षकार होने के कारण अपील में रेस्पो. सं. 3 के रूप में पक्षकार बनाया गया है। अपीलांट सं. 1 अपील संपदा जो उसे विरासत में प्राप्त हुई है जिसकी जमाबंदी की नकल तहसील कार्यालय से प्राप्त करने पर मालूम हुआ कि विरासत की कार्यवाही होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई है तो पटवारी हल्का से संपर्क किया तो पटवारी हल्का ने अवगत करवाया कि आपके पिता की विरासत का ना.करण ग्रा.पंचायत द्वारा खारिज कर दिया गया है जिस पर ना.करण की नकल हेतु तहसील कार्यालय में नकल आवेदन पेश किया जिसकी नकल दिनांक 29.10.2010 को प्राप्त होने पर ना.करण सं. 1373 दिनांक 05.08.03 को गैरकानूनी तरीके से खारिज करने की जानकारी हुई जिससे अपील बिना किसी विलम्ब के पेश की जा रही है। इससे पूर्व उक्त ना.करण की जानकारी अपीलांट को नहीं हुई है। रेस्पे. सं. 1 ने अपने इस अवैधानिक आदेश को छुपाकर रखा जिसकी अपीलांट को जानकारी नहीं होने दी तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी के लिए पृथक से धारा 5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन पेश कर अनुमति प्राप्त कर ली गई है। अतः अपील

सिकारी

अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार कर ना.करण सं. 1373 पर दिनांक 30.04.2013 को भू अभिलेख निरीक्षक खाटूश्यामजी द्वारा की गई रिपोर्ट के अनुसार जांच न कर बिना किसी कारण के दिनांक 05.08.13 को ना.करण खारिज कर दिया गया इसलिए ग्राम पंचायत, अलोदा के आदेश को निरस्त करते हुए ना.करण सं. 1373 को विधि अनुसार निस्तारण हेतु तहसीलदार, दांतारामगढ को रिमाण्ड किया जाकर ना.करण अविलम्ब निरस्तारण की हिदायत दी जावें।

2. अपील पेश होने पर रेस्पो. को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो. सं. 2 की ओर से वकील श्री मूलचन्द धायल एवं रेस्पो. सं. 3 की ओर से वकील हरदेवाराम सुण्डा ने वकालत नामा पेश किया गया। रेस्प. सं. 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने बहस के दौरान अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट्स के पिता स्व. गोरूराम की कब्जे शुदा खातेदारी भूमि ख.नं. 22 रकबा 0.99 है0, 41 रकबा 1.12 है0 किता 2 कुल रकबा 2.11 है0 वाके ग्राम अलोदा में अवस्थित है। जिसका अपीलांट का पिता अकेला खातेदार था। अपीलांट के पिता का देहान्त दिनांक 07.03.2010 को हो चुका है जबकि अपीलांट मूल रूप से गोकुलपुरा तहसील सीकर में आवास निवास करते है। केवल अपील भूमि पर काश्त करने के लिये ही आते है। इसलिए अपीलांट अपने पिता के विरासत का ना.करण खुलवाने के लिये कागज सम्बन्धित पटवारी को देकर चले गये, पटवारी ने कहा कि मैं ना. करण भरकर ग्राम पंचायत से तस्दीक करवा लूंगा तो अपीलांट ने विश्वास कर लिया। अपीलांट सं. 5 लगायत 9 की माता श्रीमती रामादेवी का देहान्त दिनांक 8. 10.1987 को हो चुका है। अपीलांट सं. 5 ता 9 की माता रामादेवी वाद संपदा की स्वामी श्री गोरूराम की वैध वारिस थी जो अपीलांट सं. 5 ता 9 के नाना के देहान्त से पूर्व देहान्त हो चुका था इसलिए अपीलांट स. 5 ता 9 का हक अधिकार उनकी माता रामादेवी के हक अधिकार के अनुसार अधिकार होने के कारण अपील पेश की जा रही है। जमाबंदी की नकल तहसील कार्यालय से प्राप्त करने पर मालूम हुआ कि विरासत की कार्यवाही होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई है तो पटवारी हल्का से संपर्क किया तो पटवारी हल्का ने अवगत करवाया कि आपके पिता की विरासत का ना.करण ग्रा.पंचायत द्वारा खारिज कर दिया गया है जिस पर ना.करण की नकल हेतु तहसील कार्यालय में नकल आवेदन पेश किया जिसकी नकल दिनांक 29.10.2010 को प्राप्त होने पर ना.करण सं. 1373 दिनांक 05.08.03 को गैरकानूनी तरीके से खारिज करने की जानकारी हुई जिससे अपील बिना किसी विलम्ब के पेश की जा रही है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी के लिए पृथक से धारा 5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन पेश किया गया है। इसलिए ग्राम पंचायत, अलोदा के आदेश को निरस्त करते हुए ना.

अधिकारी
दांतारामगढ़

करण सं. 1373 को विधि अनुसार निस्तारण हेतु तहसीलदार, दांतारामगढ को रिमाण्ड फरमाया जावें। वकील अपीलांट्स की ओर से गोरूराम पुत्र खेमाराम के वारिसान के सम्बन्ध में शपथ पत्र एवं वारिसान के पहचान पत्र की फोटो प्रतियां पेश की गई है। इसके विपरीत वकील रेस्पो. सं. 2 ने इकबालिया जवाब पेश कर निवेदन किया है कि अपील तहसीलदार को रिमाण्ड की जाती है तो रेस्पो. को कोई आपति नहीं है। वकील रेस्पो. सं. 3 ने बहस के दौरान कथन किया कि अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार अपील रिमाण्ड कर मृतकों के विधिक वारिसान के नाम ना.करण भरने की कार्यवाही जाती है तो रेस्पो. को कोई एतराज नहीं है।

4. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। ना.करण सं. 1373 दिनांक 05.08.2013 द्वारा ग्राम पंचायत, अलोदा व संलग्न अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपील विलम्ब के लिए आवेदन अं.धारा 5 अवधि परिसीमा अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया गया है इसलिए देरी की अवधि को क्षमा किया जाता हैं। अपील की मद सं. 3 में वर्णित सजरा खानदान के सम्बन्ध में वकील रेस्पो. सं. 2 व 3 द्वारा किसी तरह की आपति व्यक्त नहीं की गई है। मृतकों के वारिसान के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत, अलोदा के समक्ष सही तथ्य पेश नहीं किये जाने से उक्त विवाादित ना.करण खारिज किया गया है। इस सम्बन्ध में भू अभिलेख निरीक्षक, खाटूश्यामजी द्वारा पूर्व में मृतकों के वारिसान के सम्बन्ध में जांच तहसीलदार, सीकर से करवाये जाने का उल्लेख किया है। वकील अपीलांट्स की ओर से गोरूराम पुत्र खेमाराम के वारिसान के सम्बन्ध में प्रस्तुत शपथ पत्र एवं वारिसान ने पहचान पत्र की फोटो प्रतियां का अवलोकन किया गया। चूंकि ग्राम पंचायत द्वारा वारिस प्रमाण पत्र एवं दिये गये शपथ पत्र में भिन्नता स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में मृतकों वारिसान के सम्बन्ध में यथोचित जांच की जाकर पुनः ना.करण भरवाकर तस्दीक किया जाना न्यायहित में उचित है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर विवादित ना.करण सं. 1373 दिनांक 05.08.2013 द्वारा ग्राम पंचायत, अलोदा खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रकरण तहसीलदार, दांतारामगढ को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि मृतकों के वास्तविक वारिसान के सम्बन्ध में समुचित जांच कर वारिसान के नाम पुनः ना.करण भरवाकर तस्दीक करें।

5. यह आदेश आज दिनांक 01.07.2014 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ